

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 361 / 2012
संस्थान दिनांक 14.08.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. भगवान उर्फ भागला पिता टीकम,
आयु- 50 वर्ष
2. कीर्तन उर्फ झितर पिता भगवान,
आयु-22 वर्ष,

दोनों निवासीगण-ग्राम बोरलाय,
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

//निर्णय //

(आज दिनांक 27.04.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 361 / 2012 अंतर्गत 448, 504, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 14.08.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 05.08.2012 से 4 माह पूर्व फरियादी का मकान ग्राम बोरलाय में फरियादी श्यामु के मकान, जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता था, में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके आपराधिक गृह अतिचार कारित करने, फरियादी श्यामु को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया इस आयश से देकर अपमानित किया कि वह प्रकोपित होकर लोकशांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करे तथा फरियादी श्यामु को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में धारा 448, 504, 506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी श्यामु उसकी पत्नी रूमाबाई के साथ ग्राम बोरलाय में रहता था तथा विवाह के पूर्व नवलपुरा सेंधवा रहता था। लगभग 30—35 वर्ष पूर्व जब फरियादी का ससुर टीकम जीवित था, तब फरियादी ने उसके पास बोरलाय में मिट्टी कवेलू का कच्चा मकान 30 x 30 वर्गफीट बनाया था। फरियादी का साला भगवान उसका मकान विक्रय कर 15—20 वर्ष पूर्व उसके ससुराल चला गया था जो पुनः वापस आकर 5—6 माह से फरियादी का मकान जबरन लेने के लिए फरियादी के साथ गाली—गलोच करता रहता था तथा जान से मारने की धमकी देकर कहता था कि फरियादी मकान छोड़कर सेंधवा वापस चला जा नहीं तो वह जान से खत्म कर देगा, तब फरियादी ने उसके मकान को ताला लगाकर उसकी पुत्री प्रमिला के यहाँ बोरलाय रहने चला गया। लगभग 3—4 माह पूर्व भगवान उर्फ भगला व उसका पुत्र कितला उर्फ कीर्तन फरियादी के मकान का ताला तोड़कर मकान पर जबरन आधिपत्य कर लिया व उक्त मकान में ही रहने लगे। फरियादी व उसकी पत्नी द्वारा अभियुक्तों को उक्त मकान खाली करने के लिए समझाते रहे किन्तु मकान खाली नहीं किया। पुलिस ने फरियादी श्यामु द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 209/2012 अंतर्गत धारा 504, 448, 506 सहपति धारा 34 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादी श्यामु की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 6 बनाया। पुलिस ने साक्षियों के समक्ष ग्राम पंचायत बोरलाय के प्रमाण पत्र की छायाप्रति, रसीदों की छायाप्रति, भूमि स्वत्व के अधिकार देने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति जप्त कर प्रदर्शपी 7 का जप्ती पंचनामा बनाया। पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त भगवान एवं कीर्तन को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 8 एवं 9 के गिरफ्तारी पंचनामों बनाये तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग—पत्र अंतर्गत धारा 448, 504, 506 भाग—2 सहपटित धारा 34 भा.द.स. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 448, 504, 506 भाग—2 सहपटित धारा 34 भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया लेकिन किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं —

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 05.08.2012 से 4 माह पूर्व फरियादी का मकान ग्राम बोरलाय में फरियादी श्यामु के मकान, जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता था, में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके आपराधिक गृह अतिचार कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी श्यामु को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया इस आयश से देकर अपमानित किया कि वह प्रकोपित होकर लोकशांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करे ?

3. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी श्यामु को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित करने के

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में श्यामु (अ.सा.1), रुमाबाई (अ.सा.2), दयाराम (अ.सा.3), मांगीलाल (अ.सा.4), मुकेश यादव (अ.सा.5) एवं सहायक उपनिरीक्षक रामआसरे यादव (अ.सा.6) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी श्यामु अ.सा. 1 का कथन है कि वह दोनों अभियुक्तों को जानता है। लगभग 1 वर्ष पूर्व रात्रि 8 बजे अभियुक्त भगवान उसके पिछे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा तथा उससे कहा कि वह रहने नहीं देखा व मार डालेगा, तो वह अपने मकान पर ताला लगाकर भाग गया। अभियुक्तों ने कच्चे मिट्टी के बने मकान को तोड़ दिया तथा उस पर अभियुक्तों ने आधिपत्य कर लिया। उसके कहने पर भी अभियुक्तों ने मकान खाली नहीं किया। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर की थी जो प्रदर्शपी 1 है। पुलिस ने नक्शा मौका पंचनामा बनाया था। बचाव पक्ष की ओर से किये

गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका एवं अभियुक्तों का मकान आमने-सामने है। जिस मकान पर अभियुक्तों ने आधिपत्य कर लिया है, वह शासकीय भूमि पर है जो 20 से 25 वर्षों से बना हुआ है और उसका पट्टा भी है। जब वह थाने पर रिपोर्ट करने गया था तब पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी बाद में रिपोर्ट लिखी थी। अभियुक्तों ने भी उसकी रिपोर्ट लिखाई थी।

8. रुमाबाई अ.सा. 2 ने भी श्यामु अ.सा. 1 के कथन का समर्थन करते हुए अभियुक्तों द्वारा उनको कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास करने तथा उनका मकान तोड़कर आधिपत्य करने के संबंध में कथन किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्तों और उसका मकान आमने-सामने है। अभियुक्तों ने उनके मकान पर 4 वर्ष से कब्जा कर रखा है।

9. दयाराम अ.सा. 3 अभियुक्तों और फरियादी को पहचानने तथा वर्ष 2009 से ग्राम पंचायत बोरलाय का सरपंच होने तथा उसके द्वारा पुलिस के मांगने पर दिनांक 14.08.12 को थाना अंजड में फरियादी श्यामु के मकान का प्रमाण पत्र प्रदर्शपी 2 और 3 के देने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि श्यामु के मकान की रसीदे प्रदर्शपी 4 और भूमि अधिकार की प्रतिलिपि प्रदर्शपी 5 की पुलिस को दी थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि श्यामु के मकान का पट्टा मिल गया है, लेकिन उसे पट्टे वाली जमीन का कमांक नहीं मालूम। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि फरियादी श्यामु पट्टे वाली जमीन पर पहले रहता था, लेकिन उक्त जमीन पर अभियुक्तों ने आधिपत्य कर लिया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने अभियुक्तगण एवं फरियादी का कोई विवाद नहीं हुआ था। मांगीलाल अ.सा. 4 ने ग्राम बोरलाय में फरियादी श्यामु के नाम से उसके मकान पर विद्युत कनेक्शन होने और विद्युत बिल का भुगतान श्यामु द्वारा किये जाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि घटना के 4-5 माह पूर्व भगवान ने उसके पुत्र के नाम से कनेक्शन लिया था, जो विद्युत मण्डल द्वारा विच्छेद कर दिया गया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त का बिल अलग नाम से था और श्यामु का बिल अलग नाम से था। अभियुक्तों ने भी उसके मकान के बाहर मीटर लगवाया था जिसे काट दिया गया था।

10. मुकेश यादव अ.सा. 5 का कथन है कि फरियादी श्यामु का मकान ग्राम पंचायत बोरलाय में रजिस्टर में सरल क्रमांक 402 पर दर्ज है और पंचायत बोरलाय की ओर से श्यामु के मकान के संबंध में प्रदर्शपी 3 का प्रमाण पत्र दिया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्तों की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त भगवान का मकान अलग है जो पट्टे की भूमि है और श्यामु के पास भी पट्टे का मकान है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उन्हें श्यामु का शासकीय पट्टा मकान के संबंध में देखा है लेकिन अभियुक्तों के मकान का पट्टा नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पट्टे के आधार पर कोई मालिक नहीं होता है।

11. सहायक उपनिरीक्षक रामाश्रय यादव अ.सा. 6 ने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 209/2012 की विवेचना के दौरान श्यामु की निशांदेही से प्रदर्शपी 6 का नक्शामौका पंचनामा बनया था तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने तथा प्रदर्शपी 3 से 5 के दस्तावेज प्रदर्शपी 7 के पंचनामे के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने ग्राम पंचायत बोरलाय से फरियादी के मकान का प्रमाण पत्र प्रदर्शपी 2 का प्राप्त किया था। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर श्यामु और अभियुक्तों के मकान के सामने आम रास्ता है और सालकराम और अभियुक्तों का मकान एक-दूसरे से लगा हुआ है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शपी 6 में अभियुक्तों का मकान दर्शाया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने विवादित मकान के संबंध में क्रय-विक्रय का दस्तावेज एवं ऋण पुस्तिका नहीं देखी है।

12. भा.द.स. की धारा 448 का अपराध प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त किसी ऐसी सम्पत्ति में जो दूसरे व्यक्ति के आधिपत्य में अपराध करने के आशय से प्रवेश करे अथवा जिस व्यक्ति के आधिपत्य में सम्पत्ति है उसे अभिन्नस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे अथवा किसी सम्पत्ति में विधि पूर्वक प्रवेश करके वहाँ विधि विरुद्ध इस आशय से बना रहे कि वह उक्त व्यक्ति को अभिन्नस्त्र, अपमानित या क्षुब्ध करे अथवा कोई अपराध करे।

13. इस मामले में श्यामु अ.सा. 1 तथा रुमाबाई अ.सा. 2 का यह कथन नहीं है कि अभियुक्तगण ने उसके आधिपत्य की सम्पत्ति मकान में प्रवेश किया था। यहाँ तक कि फरियादी द्वारा स्वयं का जो मकान बताया जा रहा है उक्त मकान के स्वत्व या आधिपत्य के संबंध में भी कोई दस्तावेज अभियोजन की ओर से पेश या प्रमाणित नहीं कराया गया है।

14. दयाराम अ.सा. 3 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तों के पास भी शासकीय भूमि के पट्टे है और फरियादी के पास भी है। मुकेश अ.सा. 5 ने भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त भगवान का मकान अलग है और फरियादी का मकान अलग है। उसने फरियादी का पट्टा देखा है। रामाश्रय अ.सा. 6 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि फरियादी श्यामु एवं अभियुक्तों के मकान के सामने आम रास्ता है। उक्त साक्षी की भी स्कारोक्ति से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तों का मकान अलग है और फरियादी का मकान अलग है। अभियोजन की ओर से पेश प्रदर्शपी 5 के दस्तावेज से उक्त भूमि के भू-खण्ड क्रमांक या सर्वे क्रमांक का कोई उल्लेख नहीं है, जो कि फरियादी के आधिपत्य की है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने फरियादी श्यामु के निवास स्थान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके आपराधिक गृह आतिचार किया ?

15. फरियादी एवं साक्षियों के यह भी कथन नहीं है कि अभियुक्तों ने उन्हें लोक स्थान पर अश्लील गॉलिया देकर उन्हें इस आशय से अपमानित किया कि वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करे या अन्य अपराध करे। फरियादी एवं साक्षियों का यह भी कथन नहीं है कि अभियुक्तों ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था। इस घटना की रिपोर्ट घटना के लगभग 4 माह बाद लिखाई जाना प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 से प्रमाणित होता है और उक्त विलंब का कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में भी अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उन्हें आरोपित अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहरया जा सकता है और उनके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

16. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय तीनों प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं अतएव अभियुक्त भगवान और कीर्तन को संदेह का लाभ देते हुए धारा 448, 504, 506 भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा दस्तावेजों की छायाप्रति रखकर उक्त दस्तोवज अपील अवधि पश्चात् फरियादी श्यामु को वापस किये जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

